(18)

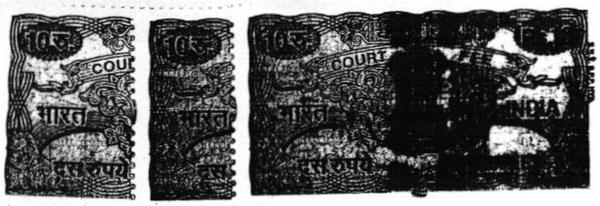

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मडल बोर्ड ग्वालियर म. प्र

रिवीजन न............/17

R 1362-I-17

लक्ष्मी नारायण तिवारी आयु वयस्क
आ. स्व. श्री लालाराम तिवारी
निवासीः– नॉग पिपरिया ग्राम इमेलिया
विदिशा रोड भोपाल म.प्र......................................रिवीजनकर्ता/अनावेदक.

विरुद्व

गोपाल प्रसाद आयु वयस्क आ.
स्व. श्री लालाराम तिवारी
निवासीः–म.न. 132 राजेन्द्र नगर
बकसरिया किले के अन्दर विदिशा भोपाल म.प्र.........प्रतिप्रार्थी/आवेदक

## आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50 - भू.राजस्व अधिनियम 1959

श्रीमान महोदय

सेवा में रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन है कि न्यायालय तहसीलदार विदिशा म.प्र. द्वारा नग पिपलिया प्रकरण कमाक 4/ए 70/16,17 प्रकरण गोपाल प्रसाद वि0 लक्ष्मी नारायण में पारित आदेश दिनांक 12/04/2017 के आदेश से दुखित एंव असन्तुष्ठ होकर नि.लि.आधार पर यह रिवीजन याचिका प्रस्तुत की जा रही है

दिनांक 12-5-17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत। 12-5-17 50

## रिवीजन के तथ्य

1. यह किराजस्व आदेश के प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिप्रार्थी/आवेदक श्री गोपाल प्रसाद आ. श्री लालाराम बाहमण (तिवारी) ग्राम नग पिपरिया द्वारा म.प्र. भू राजस्व अधिनियम 1959 की धारा 250 के अर्न्तगत आवेदन पत्र. पेश कर ग्राम नग पिपरिया स्थित भूमि सर्वे न. 94/01 ध रकबा 0.209 है भूमि के सीमाकन किये जाने पर रिवीजनकर्ता/अनावेदक लक्ष्मीनाराण पुत्र लालाराम के कब्जे में पाये जाने से विधिवत भूमि का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया रिवीजनकर्ता/अनावेदक लक्ष्मीनाराण द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि पर रिवीजनकर्ता/अनावेदक का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है।
2. यह कि प्रकरण में सलग्न सीमाकन प्रतिवेदन/पंचनामा का अवलोकन किया गया सीमाकन दि 25/05/2016 को किया गया था सीमाकन के दौरान सर्वे न. 94/1 ध में 25 कडी चौडा एंव 25 चरीब लम्बा रकबा लक्ष्मी नारायण पुत्र लालाराम के कब्जें में पाया जाना प्रमाणित होता है वर्तमान में रवि मौसम का कटाई कार्य चालू होने से आवेदक/प्रतिप्रार्थी को

निरन्तर.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1362-एक/17 **जिला** - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |